

# Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

OGovt. of Haryana

No. 87-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MAY 22, 2017 (VAISAKHA 31, 1939 SAKA)

## हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

# अधिसूचना

दिनांक 22 मई, 2017

संख्या 4/2/2017—आर—ाा.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की घारा 257 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) से (ङ) तथा धारा 276 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 4/2/2017—आर—ा, दिनांक ,14.03.2017 के प्रतिनिर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1978 को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. ये नियम हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।
- 2 हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
  - **"3. पुनरीक्षण प्राधिकारी की नियुक्ति** उपायुक्त किसी राजपत्रित अधिकारी को वार्ड से सम्बन्धित मतदाता सूची के दावे और आपत्तियां सुनने के प्रयोजन के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा तथा वार्ड या वार्डों जिनके लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी रहेगा, विनिर्दिष्ट कर सकता है।"।
- 3. उक्त नियमों में, नियम ४ के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
  - "4. वार्ड वार मवदावा सूची तैयार करना :— (1) उपायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन तत्समय लागू लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950 का केन्द्रीय अधिनियम 43) के उपबन्धों के अधीन विधानसभा क्षेत्र या उसके भाग के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल निर्वाचक, जो नगर परिषद / नगर पालिका के किसी वार्ड के अधीन पड़ते है, किसी नाम में संशोधन, किसी नाम का विलोपन या परिवर्धन या शामिल करने के अध्यधीन मतदाताओं को विभाजित करेगा।
  - (2) उपरोक्त उप-नियम (1) के अनुसार वार्ड वार मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना की तिथि तक भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अद्यतन मतदाता सूची हिसाब में ली जाएगी। विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को इस प्रकार वार्ड वार विभाजित की गई मतदाता सूची नगर परिषद/नगर पालिका के उस वार्ड के लिए मतदाता सूची होगी, जो हिन्दी और ऐसी अन्य भाषा या भाषाओं में तथा ऐसे रूप में जो राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश करे, तैयार की जाएगी।
  - (3) ज्योंही नगर परिषद/नगर पालिका की वार्ड वार मतदाता सूची तैयार हो जाती है, तो उपायुक्त, तिथि जिस समय तक वार्ड वार मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपत्तियां या दावे विनिर्दिष्ट पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत

(1593)

किए जा शकते हैं, को शुक्तित करते हुए वोटिस सहित प्रारूप के रूप में प्रकाशित करवाएगा। वोटिस सहित नगर परिषद ∕ नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड की वार्ड वार मतदाता सूचि की प्रति उपायुक्त के कार्यालय में, नगर परिषद ∕ नगर पालिका के कार्यालय तथा ऐसे अच्य सहज=दृश्य स्थान (स्थानों) पर चिपकाएगा, जैसा उपायुक्त अवधारित करे:

परन्तु चार्चे या आपत्तियां वायर करने के लिए कम शे कम पांच दिन की अवधि अनुज्ञात की जाएगी।

(4) (i) निर्वाचकों को वार्ड वार विभाजित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक दावा तथा आपत्ति निहित प्ररूप क तथा ख में पुनरीक्षण प्राधिकारी को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत की जाएगी या उसे रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है:

> परन्तु प्ररूप क में दाने जन आनवको द्वारा दायर किये जाएंगे जो मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने, अपनी प्रतिष्टि में संशोधन करवाने या किसी दूसरे वार्ड में अपना नाम बदलवाने के इच्छुक हों। प्ररूप ख में आपत्तियां जन आनेदकों द्वारा दायर की जाएगी, जो मतदाता सूची में सम्मिलित नामों के विरूद्ध अपना निरोध दर्ज करवाने या नाम का विलोपन करवाने के इच्छुक होः

> परन्तु यह और कि केवल वे ही व्यक्ति नगर परिषद / नगर पालिका की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिये अपना दावा दायर करेंगे, जिनके नाम विधानसभा की सम्बन्धित भतदाता सूची में हैं, किन्तु इस नियम के उप नियम 3 के अधीन प्रकाशित मतदाताओं की प्रारूप सूची में नहीं है।

- (ii) पुनरीक्षण प्राधिकारी प्ररूप-1क में दावों का रिजरटर तथा प्ररूप-1ख में आपितायों का रिजरटर बनाएगा और जब कभी प्राप्त होने पर प्रत्येक दावा तथा आपिता, जैसी भी स्थिति हो, के ब्यौरे उसमें दर्ज करेगा।
- (iii) कोई दावा या आपत्ति जो खण्ड (l) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या प्ररूप में दायर नहीं किया जाता है या यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर किया जाता है जो उसे दायर करने का हकदार नहीं है, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (iv) यदि कोई दावा या आपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई है, जो उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, तो ऐसा पुनरीक्षण प्राधिकारी तुरन्त उसी समय सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए उसी व्यक्ति को वापिस लौटाएगा।
- (v) जहां किसी दावा या आपित्त का निपटान खण्ड (iii) या (iv) के अधीन नहीं किया जाता है तथा दावों और आपित्तियों को प्रस्तुत करने की विहित अविध समाप्त हो गई है, तो पुनरीक्षण प्राधिकारी. तिथि जिसके तथा स्थान जिस पर ऐसे दाये तथा आपित्तियों सुनी जायेंगी को दर्शाते हुये नोटिस के साथ प्राप्त किए गए सभी दावों और आपित्तियों की सूची तुरन्त अपने कार्यालय में चस्पा करेगा। आपित्त की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जायेगी. जिसने यह की है।
- (vi) यदि इस निभित्ति पुनरीक्षण प्राधिकारी को किए गये आवेदन पत्र पर या स्व-प्ररेणा पर, वह सन्तुष्ट हो जाता है, की प्रारूप मतदाता सूची, प्रारूप मतदाता सूची में किसी गलती के कारण, विधानसभा मतदाता सूची के सम्बन्धित भाग से भिन्न हैं, तो वह उसे उक्त मतदाता सूची के समरूप संशोधित करने के लिये उसमें सिभालित कोई संशोधन, विलोपन कर सकता है या उस मतदाता सूची में कोई प्रविष्टि जोड़ सकता हैं।
- (vii) खण्ड (v) के अधीन नियत तिथि और जगह पर पुनरीक्षण प्राधिकारी दावे तथा आपित्तयां सुनेगा और सम्बन्धित पक्षकारों या उसके प्राधिकृत एजैंटों को सुनने के बाद उनकी गुणता के अनुसार दावों और आपित्तियों का निर्णय करेगा तथा कोई व्यक्ति दावे की दशा में, जो ऐसे दावे को स्वीकार करने के लिए ऐतराज करता है और ऐसे साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जाए या उसको आवश्यक प्रतीत हो, पर विचार करने के वाद वह
  - (क) कोई दावा या आपत्ति, जो इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों का पालन नहीं करती है, अस्वीकार करेगा या ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जिसे वह उचित समझे ;

- (ख) कोई मामला जिसमें दावेदार या आपत्तिकर्ता या उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है, खारिज करेगा।
- (viii) पुनरीक्षण प्राधिकारी के किसी ऐसे आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति हो, आदेश की तिथि से तीन दिन के भीतर उपायुक्त को अपील दायर कर सकता है, जो तीन दिन के भीतर या तो ऐसे आदेश की पुष्टि करेगा या अपास्त करेगा या दावे या आपित्त के सम्बन्ध में ऐसा अन्य आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।
- (ix) पुनरीक्षण प्राधिकारी ज्यों ही उसके सम्मुख प्रस्तुत किये गये सभी दावे तथा आपित्तयों का निपटान करता है, तो वह उन पर किये गये आदेशों सिहत, ऐसे दावों और आपित्तयों की सूची, उपायुक्त को भेजेगा, जो खण्ड (Viii) के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा या उस द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, पारित आदेशों के अनुसार वार्ड वार मतदाता सूची ठीक करवाएगा। इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची अन्तिम होगी तथा उसकी दो प्रतियां पुनरीक्षण प्राधिकारी तथा उपायुक्त द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उनके कार्यालयों में रखी जायेगी और कथित आदेशों के अनुसार तैयार परिवर्धन तथा संशोधन की सूची सिहत उप—िनयम (3) के अधीन विहित रीति में प्रकाशित की जायेगी। खण्ड (ix) के अधीन सही की गई तथा प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची ऐसे अन्तिम प्रकाशन की तिथि से लागू होगीं।"।
- 4. उक्त नियमों में, नियम 5 से 11 का लोप कर दिया जाएगा।
- 5. उक्त नियमों में, नियम 12 में ;-
  - (i) उप नियम (4) में, "नियम 4 से 11 तक" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "नियम 4" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे :
  - (ii) उप नियम (5) में, "नियम 5 से 11 तक" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "नियम 4" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, और ;
  - (iii) उप नियम (6) में, "नियम 7" और "नियम 11" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, क्रमशः "नियम 4(3)" और "नियम 4(4)(ix)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 6. उक्त नियमों में, नियम 13 का लोप कर दिया जाएगा ।
- 7. उक्त नियमों में, नियम-14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"14 अंतिम रूप से प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची में नामों का शामिल, विलोपन और सुघार :— कोई भी व्यक्ति जिसका नाम अंतिम रूप से प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची में शामिल नही है, तो वह वार्ड वार मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने/विलोपन/संशोधन हेतु उपायुक्त को आवेदन कर सकता है:

परन्तु, नगर परिषद / नगर पालिका के मतदाताओं की वार्ड वार सूची में किसी नाम को जोड़ने / विलोपन या संशोधन तभी किया जाएगा, यदि दावेदार / आवेदक का नाम नगर परिषद / नगर पालिका के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दायर करने के प्रथम दिन तक विधानसभा की निर्वाचक सूची के सम्बन्धित भाग में विद्यमान है।"

- 8. उक्त नियमों में, नियम 14(क) और 14 (ख) का लोप कर दिया जाएगा।
- 9. उक्त नियमों में, नियम 15 में, उप-नियम (1) में,-
  - (i) खण्ड (1)(ग) में, "नियम 9" शब्द तथा अंक के स्थान पर, "नियम 4(4)(i)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित
  - (ii) खण्ड (घ) में, "नियम 10" शब्द तथा अंक के स्थान पर, 'नियम 4(4)(VII) तथा (VIII)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
  - (iii) खण्ड (ज) का लोप कर दिया जाएगा ।

10. उक्त नियमों में, प्ररूप क और ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :

### "UTOU-TO

(देखिए नियम 4 (4)(1))

मतदाता सूची में नाम शामिल करने/	केसी प्रविष्टि की शुद्धि के लिए या किसी दूसरे वा	हों में नाम रखने के लिए आवेदन
या  उपायुक्त महोदय,  मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त न जाए, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि की र मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने दावे के समर्थन में ब्यौरे नीचे दिये गये	के लिए प्रविष्टि विभिष्टियों की शक्ति के दिए या	
आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
पिता / माता / पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
म उल्लंख किया गया है, लीवे अब वार्ड नं0 मे 2. कि मेरा नाम विधान सभ	ा निर्वाचन क्षेत्रहै शामिल किया गया है और मेरा नाम नगर परिषद्	में शामिल नहीं किया गया है जो के क्रम संख्या
3. कि मतदाता सूची में प्रविष्टि इस आधार पर कि	इस तरह सही कि 	या जाए
<ol> <li>कि मेरा नाम वार्ड नं0</li> </ol>	की बजाय वार्ड नं0	. में प्रविष्टि किया जाये।
परन्तु नगर परिषद्/नगर पारि	मतदाता सूची में मेरा विवरण वर्णित है, जैसे त्रका की मतदाता सूची मेंके रूप में सही करने	के रूप में यथा
6. घोषणाः		
मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर	र उल्लेखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान औ	र विश्वास के अनुसार सही है।
स्थानः		101
दिनांक:	दावेदार के हस्ताक्षर या उ	
	आवेदन का पूरा पता	
	मोबाईल नं0	

टिप्पण :— कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे जान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह हरियाणा नगरपातिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 13ग के अधीन दंडनीय होगा।

\*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।		
	की गई कार्रवाई के स्पोर	
(नगर परिषद् / नगर पालिका	के पुनरीक्षण प्राधिकारी या उपायुक्त, जैसी र	री स्थिति हो, द्वारा भरा जाना है)
बी/बीमती /कुमारी	के मतदाता सुधी में नाम	सम्मितित किए जाने प्रविष्टि विशिष्टियाँ
की शुद्धि के लिए या प्रविध्टि को अन्यत्र कर दिया गया है।	रखने हेतु प्ररूप क मैं दिये गये आवेदन के	*स्वीकार कर लिया गया है/ *नामंजूर
*स्वीकार करने या नामंजूर क अनुसरण में} के तिए विस्तृत कारणः	रने (हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम,	1978 के नियम—4 के अधीन या उसके
स्थानः		
तारीख:		
	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की पुहर)
*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।		
	द स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर	विक्षी अधिकारी की टिप्पणी
प्ररूप क में श्री/श्रीमती/कुमारी		पता
—रो में प्रविध्टि किया गया है।	आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज रजिस्टर	की क्रम संख्या
	1	
युग्नाइ क लिय गारवत तिव तिवा सम्ब		हस्ताखर तथा पदनाम
	(कार्यालय के लिए पावती)	000000000000000000000000000000000000000
दावे तथा आपत्तियों की तिथि तथा	समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।	
दिनाक:-	हावेहार	के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	की पावती तथा सुनवाई की तिथि से सम्बन्धि	•
श्री/श्रीमती/कुमारी	(प्रार्थी के तिये) जो नगर परिषद/।	पालिका
का निवासी है, से प्ररूप क	में आवेदन प्राप्त हुआ।	
कार्यालय में दिनांक	सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्थान को एस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।	बर्ज की जायेगी। उसे सुनवाई के लिये
देनाक:	प्राप्त कर	प्राधिकारी की ओर से आवेदन ने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

# प्ररूप-ख

दिखिए नियम 4 (4)(i)]

मतदाता सूची में नाम की	प्रविष्टि पर आधीप या प्रविष्ट नाम का हटाय	जान हेर्नु जापपन
सेवा भे पुनरीक्षण पाधिकारी, नगर परिषद्/नगर पालिका या उपायुक्त	वार्ड संख्या	हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सें0मी0 X 3.05 सें0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान
के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। मेरे आक्षेप	के लिए मतदाता सूची में नीचे उल्लिखित व के समर्थन में विवरण नीचे दिये जा रहे हैं : । नाभित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि को नीचे	
अपेक्षित है:		
आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
के वार्ड नं0	का नाम नगर परिष की क्रम संख्या रहता है वह नगर परिषद् / नगर पालिका की	पर अर्कित है,
2. कि श्री/श्रीमति/कुमारी	का नाम वार्ड नं0 में शामिल किया जाए।	3-
3. घोषणाः मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर	उल्लिखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान	ा और विश्वास के अनुसार सही है।
स्थानः दिनाकः		
	दावेदार के हस्ताक्षर य आवेदन का पूरा पता	
	मोबाईल नं0	
टिप्पण:- कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोष	ण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या	होने का या तो उसे जान या विश्वास

टिप्पण:— कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 13ग के अधीन दंडनीय होगा।

<sup>\*</sup>अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

	की गई कार्रवाई के ब्यौरे		
( नगर प	ारिषद्∕नगर पालिका के पुनरीक्षण प्राधिव	गरी द्वारा	भरा जाना है)
गया है / नामंजूर कर दिया गया	रुने (हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन निय		
स्थान:			
तारीखः	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर		(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के	पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौर	 ान	
*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।			
	ा केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदामिहित अधिव	कारी, पर्य	वेसी अधिकारी की टिप्पणी
प्ररूप ख में श्री/श्रीमती/क	मारी	प	ता
. में प्रविष्टि किया गया है।	से आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज र	जिस्टर व	ी क्रम संख्या
सुनपाइ के लिय निरिचत तिथि तथा	समय		हस्ताक्षर तथा पदनाम
	(कार्यालय के लिए पावती)		हरताबार तथा पर्गान
दावे व आपत्तियों की तिथि	तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।		
दिनांक :		दावेदार व	हे हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
प्रार्थन	ा पत्र की पावती तथा सुनवाई की तिथि र	से सम्बन्धि	रत सूचना
	(प्रार्थी के लिये)		
	 है, से प्ररूप ख में आवेदन प्राप्त हुआ।	ार परिषद	:/नगर पालिका
आवेटन में सनवार्ड प	नरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्थान कोबजे थत होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।	की जा	में स्थित अपने कार्यालय में येगी। उसे सुनवाई के लिये आवश्यक
दिनाक:-			प्राधिकारी की ओर से आवेदन
			वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
			10 14 1440 1544 154 1544 1544 1544 1544
•			)
नियम 4 (4)(ii))]" शब्द, अंक तथा	तथा 1ख में, "[देखिए नियग 9 (5)]" कें कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे। ग्रा घ का लोप कर दिया जाएगा।	ोष्ठकों, श	ब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "[देखिए
			आनन्द एम० शरन,
			प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

### HARYANA GOVERNMENT

### URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

### Notification

### The 22nd May, 2017

No. 4/2/2017-R-II.— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of Sub-section (1) of Section 257 and section 276 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department notification No. 4/2/2017-R-II, dated 14th March, 2017, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Election Rules, 1978, namely:-

- These rules may be called the Haryana Municipal Elections (Amendment) Rules, 2017.
- 2. In the Haryana Municipal Election Rules, 1978 (hereinafter called the said rules), for existing rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-
  - "3. Appointment of Revising Authorities.- The Deputy Commissioner shall appoint any Gazetted Officer to be a Revising Authority for the purpose of hearing claims and objections relating to ward wise electoral roll and may specify the ward or wards for which he shall be the Revising Authority."
- 3. In the said rules, for existing rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-
  - "4. Preparation of ward wise roll.- (1) The Deputy Commissioner under the superintendence, direction and control of the State Election Commission, shall cause to distribute the electors of Legislative Assembly constituency or a part thereof of the existing electoral roll prepared by Election Commission of India under the provisions of the Representation of People Act, 1950 (Central Act 43 of 1950), for the time being in force, which falls in the relevant ward of the Municipal Council/Committee, subject to any amendment, deletion or addition or any inclusion of any name by the Election Commission of India.
  - (2) The electoral roll updated by the Election Commission of India up to the date of notification issued by the State Election Commission for the preparation of ward wise roll as per sub rule (1) above, shall be taken into account. The electors of Legislative Assembly constituency, so distributed ward wise shall be the electoral roll for that ward of the Municipal Council/Committee which shall be prepared in Hindi and in such other language or languages and in such form, as the State Election Commission may direct.
  - (3) As soon as the ward wise roll of a Municipal Council/Committee is ready, the Deputy Commissioner shall publish it as draft together with a notice intimating the date by which objections or claims with regard to the ward wise roll may be presented to the Revising Authority specified therein. A copy of the ward wise roll of each ward of Municipal Council/Committee alongwith the notice shall be pasted at the office of the Deputy Commissioner, at the office of the Municipal Council/Committee and at such other conspicuous place(s) as the Deputy Commissioner may determine:

Provided that a period of not less than five days shall be allowed for filing claims and objections.

(4) (i) Every claim and objection regarding distribution of electors ward wise shall be addressed and presented to the Revising Authority in the prescribed Form A and B or may be sent by registered post to him.

> Provided that claims in Form-A shall be filed by those applicants, who intend to include their name, make correction in their entry or transposing of their name in another ward in the

electoral roll. Objections in Form-B shall be filed by those applicants who intend to object inclusion of name or seek deletion of a name from the electoral roll.

Provided further that only those persons shall file their claim for inclusion of their name in the electoral roll of Municipal Council/Committee, whose name appear in the respective electoral roll of legislative assembly, but do not appear in the draft electoral rolls published under sub-rule (3) of this rule.

- (ii) The Revising Authority shall maintain a register of claims in Form 1-A and register of objections in Form 1-B, entering therein the particulars of every claim or objection, as the case may be, as and when it is received.
- (iii) Any claim or objection under clause (i) which is not lodged within the prescribed period, or in the form, or, if lodged, by a person not entitled to lodge the same, shall be rejected.
- (iv) If any claim or objection is presented by a person to the Revising Authority which is not authorized to receive it, such Revising Authority shall at once return it to the person presenting it for presentation to the appropriate Revising Authority.
- (v) Where a claim or objection is not disposed of under clauses (iii) or (iv) and the period prescribed for the presentation of claims and objections, has expired, the Revising Authority shall forthwith post at his office a list of all claims and objections received together with notice showing the date on which and the place at which such claims and objections shall be heard. One copy of the objection shall be served upon the person regarding whom it is made.
- (vi) If on an application made to the Revising Authority in this behalf or on his own motion, he is satisfied that the draft electoral roll is at variance with the relevant part of the electoral roll of the Assembly on account of any mistake in the draft rolls, he shall amend the list so as to bring it in conformity with the said electoral roll and for that purpose he may amend, delete or add an entry in that roll.
- (vii) On the date and at the place fixed under sub clause (v), the Revising Authority shall hear and decide the claims and objections according to their merits after hearing the parties concerned or their authorized agents and, in the case of a claim any person who objects to the admission of such a claim and after considering such evidence as may be produced or may appear necessary to him, he shall-
  - (a) reject any claim or objection which does not comply with any of the provisions of these rules or pass such orders, as he may deem fit;
  - (b) dismiss any case in which the claimant or objector is not present or is not represented.
- (viii) Any person aggrieved by any such order of the Revising Authority, may file appeal within three days from the date of order to the Deputy Commissioner, who shall within three days either confirm such order, or set it aside or pass such other order with respect to the claim or objection as he may deem fit.
- (ix) As soon as the Revising Authority has disposed of all the claims and objections presented before him, he shall forward a list of such claims and objections alongwith his orders thereon to the Deputy Commissioner who shall cause the ward wise roll to be corrected, in accordance with the orders passed by the Revising Authority or by him in appeal under clause (viii) of sub rule (4), as the case may be. The rolls so amended shall be final and two copies thereof duly signed by

the Deputy Commissioner and Revising Authority shall be kept in their offices and shall be published in the manner prescribed under sub rule (3) together with list of additions and corrections prepared in accordance with the said orders. Any ward wise roll corrected and published under the provisions of clause (ix) shall come into force from the date of such publication."

- 4. In the said rules, rules 5 to 11 shall be omitted.
- 5. In the said rules, in rule 12;-
  - (i) in sub-rule (4), for the words and figures "rules 4 to 11", the word and figure "rule 4" shall be substituted:
  - (ii) in sub-rule (5), for the words and figures "rules 5 to 11", the word and figure "rule 4" shall be substituted; and
  - (iii) in sub-rule (6), for the words and figures "rule 7" and "rule 11", the words, figures and bracket "rule 4 (3)" and "rule 4 (4) (ix)" shall be substituted.
- In the said rules, the existing rule 13 shall be omitted.
- In the said rules, for existing rule 14, the following rule shall be substituted namely:-
  - "14. Inclusion, deletion and correction of names in the ward wise electoral roll finally published.- Any person whose name is not included in the ward wise electoral roll finally published may apply to the Deputy Commissioner for addition/deletion/ correction of his name in the ward wise electoral roll.

Provided that the addition/deletion or correction of any name in the ward wise electoral roll of a Municipal Council/Committee shall only be made, if the name of claimant/applicant exists in the relevant part of assembly electoral roll till the first day of filing nomination papers for the elections of Municipal Council/Committee.".

- In the said rules, rule 14 A and 14 B shall be omitted.
- 9. In the said rules, in rule 15, in sub-rule (1),-
  - in clause (c), for the word and figure "rule 9", the word, figure, sign and bracket "rule 4 (4) (i)" shall be substituted;
  - (ii) in clause (d), for word and figure "rule 10", the word, figure, sign and bracket "rule 4 (4) (vii) and (viii)" shall be substituted; and
  - (iii) clause (h) shall be omitted.

10. In the said rules, for the existing Forms A and B, the following forms shall be substituted, namely:

"Form-A
[See rule 4]

Application for inclusion of name	, correction of any entry or transposin clectoral roll	g of name in a	nother ward in the
or Deputy Commissioner  1 request that my name be included	ceWard No d, corrected or transposed in the elec in support of my claim for Inclusion		
Applicant's details	Name	Surname (if ar	ıy)
*Father's Mother's Name Husband's	Name	Surname (if an	ıy)
1. That my name is mentioned at 3. Assembly Constituency but has not be may now be included in the ward No  2. That my name has been included at Assembly Constituency and include at Council/Committee.  3. That the entry in electoral roll ground that  4. That my name be entered in ward No	Sr. No. Part No. of	d No	il/Committee which Legislative of Municipal
5. Entry of my particular in the el	ectoral roll of Legislative Assembly ral roll of Municipal Council/Co	Constituency	are mentioned as been mentioned
6. Declaration I hereby declare that the facts and partice		st of my knowle	dge and belief.
Place : Date :	Signature o  Complete Address of the applicant	_	sion of the claimant
	Mobile No		

Note: Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 13C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973).

<sup>\*</sup>Strike out the inappropriate alternative

	Detail of action	n taken
(To be filled by Revis	ing Authority of Municipal Council/Co	mmittee or the Deputy Commissioner as the case m
	be)	
The application	of Shri/Smt/Km	for inclusion of name/correction of
		toral roll in Form-A has been accepted*/rejected*.
Detailed reasons Rules, 1978	s for acceptance or rejection under or in p	sursuance of rule 4 of the Haryana Municipal Election
Rules, 1976		
Place:		
Date:		
	Signature of Revising Authority	(Seal of the Revising Authority)
*Strike out the inapprop	priate alternative	
		er, Designated Officer, Supervisory Officer
	n in Form A from Sh./Smt./Kumari	
Address		
		of the entry register.
Date and time fixed for	hearing	
		Sing and Designation
	(Receipt for office	Sign and Designation
Obtained the information	on about the date and time fixed for the he	
Obtained the information	on about the date and time fixed for the fix	
Dated:	7.	Signature and thumb impression of the applicant
<b>D</b> 4.00.		
	Receipt of application and information	n about the date of hearing
	(for applican	
• 32		
		h/Smt/Kumari who is
resident of Municipal C	•	
-		the Revising Authority at his office situated
atalongwith necessary do		He/She is directed to appear for hearing
along him hecessary do		
Date:	S	gnature of the officer receiving the application on
		ehalf of the Revising Authority
		Address

# Form-B [See rule 4]

Application for object	cting inclusion or seeking deletion of name in	electoral	l roll
Or Deputy Commissioner Sir, I object to the proposed incl	usion of the name of the under mentioned pers	on in the	SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 cm X 3.5 cm) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN electoral roll for the
above Municipal Council/Committee.	Particulars in support of my objection are given g to myself/the person named below is required	below;	
Applicant's details	Name	Surname	: (if any)
*Father's/ Mother's Name/ Husband's	Name	Surname	: (if any)
in the limit of the Municipal Council/C	il/Committee, but the area in which the said pe ommittee.	erson is re	siding does not fall
I hereby declare that the facts and partic	culars mentioned above are true to the best of m	y knowle	dge and belief.
Place: Date:		nb impress	sion of the claimant
	Mobile No		
Note: Any person who makes a state e false or does not believe to be true, i 973). *Strike out the inappropriate alternative	ment or declaration which is false and which Is punishable under section 13C of the Haryan	e either k	nows or believes to
	Detail of action taken		
(To be filled by R	evising Authority of Municipal Council/Comn	nittee)	
The application of Shri/Smt./Km. ame of Shri/Smt./Km. Detailed reasons for acceptance or ules, 1978:	objecting to in in the electoral roll in Form-B has rejection under or in pursuance of rule 4 of the	been acce	seeking deletion of pted/rejected. Municipal Election
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Places	
I INCE!	
Date:	
	Manager 1
Autor	Signature of Revising Authority (Seal of the Revising Authority)
Juring continuous updat	the silet linal publication of 1
ourse out me mappingh	ate alternative
Remarks	of Field Level Officer e.g. BLO, Designated Officer, Supervisory Officer
leceived an application	n Form B from Sh/Smt/Kumari
Address	and entered at Se po
	and entered at Sr. no of the entry register.
Date and time fixed for I	earingof the entry register.
	(Receipt for office use)
Obtained the information	about the date and time fixed for the hearing of claim/objection.
	the fielding of claim/objection.
Elle	
Dated:	Signature and thumb impression of the applicant
	Signature and thumb impression of the applicant Receipt of application and information about the date of bearing
Dated:	Receipt of application and information about the date of hearing
An application 1	Receipt of application and information about the date of hearing  (for applicant)  as been received in Form B from Sh/Smt/Kumari
An application 1 resident of Municipal Co	Receipt of application and information about the date of hearing  (for applicant)  as been received in Form B from Sh./Smt./Kumari who uncil/Committee
An application I resident of Municipal Co The hearing in	Receipt of application and information about the date of hearing  (for applicant)  as been received in Form B from Sh./Smt./Kumari who uncil/Committee  the applicant will be done by the Revising Authority at his office situate
An application I resident of Municipal Co The hearing in	Receipt of application and information about the date of hearing  (for applicant)  as been received in Form B from Sh./Smt./Kumari who uncil/Committee  the applicant will be done by the Revising Authority at his office situate
An application 1 resident of Municipal Co The hearing in	Receipt of application and information about the date of hearing  (for applicant)  as been received in Form B from Sh./Smt./Kumari who uncil/Committee
An application 1 resident of Municipal Co The hearing in at_ alongwith necessary doc	Receipt of application and information about the date of hearing  (for applicant)  as been received in Form B from Sh./Smt./Kumari who  uncil/Committee the applicant will be done by the Revising Authority at his office situate  on at He/She is directed to appear for hearing terms of the suments/information.
An application 1 resident of Municipal Co The hearing in at_ alongwith necessary doc	Receipt of application and information about the date of hearing  (for applicant)  as been received in Form B from Sh./Smt./Kumari who uncil/Committee  the applicant will be done by the Revising Authority at his office situate onat He/She is directed to appear for hearing unnents/information.  Signature of the officer receiving the application on
An application I resident of Municipal Co The hearing in	Receipt of application and information about the date of hearing  (for applicant)  as been received in Form B from Sh./Smt./Kumari who  uncil/Committee the applicant will be done by the Revising Authority at his office situate  on at He/She is directed to appear for hearing terms of the suments/information.

ANAND M. SHARAN, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Deapartment.

55318-C.S.-H.O.P., Chd.